(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. ग्वालियर पीबीआर 2018/
निगरानी- 3940/2018/ग्वालियर/दूसरा

प्रार्थी- मुन्नालाल अग्रवाल पुत्र श्री हरिमोहन अग्रवाल निवासी 26 बी केलाश नगर सिटी सेन्टर लश्कर ग्वालियर म.प्र.

विरूद्ध

प्रतिप्रार्थीगण

1- श्रीमती गायत्री देवी वेवा स्व.गोविन्द प्रसाद अग्रवाल

2- प्रहलाद दास पुत्र स्व.गोविन्द प्रसाद अग्रवाल निवासी मंगल देव नगर लक्कड खाना माधोगंज लश्कर ग्वालियर म.प्र.

3- रामलखन सिंह गुर्जर पटवारी तहसील ग्वालियर म.प्र.

निवासी जिला करेरा 30-5-18 एवं उसका पुनराविलोकन आदेश 15-6-18 प्र.क्र. 30/16-17 अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विपरीत विधान एवं प्रकरण पत्रावली के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानी अन्तर्गत आदेश पारित करते समय अपना स्वयं का आदेश 20-12-17 पर कोई ध्यान नही दिया ओर न ही अपील अन्तर्गत पंजी के विवादित आदेश का अवलोकन किया विवादित पंजी में पटवारी का कालम नम्बर 4 में स्पष्ट वर्णन है कि "निवेदन है कि.....इसके अलावा अन्य कोई वारिसान न होना बताया है अतः रिपोर्ट प्रस्तुत है। दूस्ता० पटवारी दिनांक 2-5-16" उक्त रिपोर्ट में वर्णित कागजात मृत्यु प्रमाण पत्र 3135 दिनांक 3-5-04 के आधार पर उक्त रिपोर्ट लगाई गई है एवं अन्य वारिसान सम्बन्धी शपथपत्र अमल पटवारी के पास है तथा इश्तहार पंजी में संलग्न है इस कारण उपरोक्त दस्तावेजो के बिना अपील का निराकरण संभव नही है किन्तु आदेश दिनांक 20-12-17 के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने विपरीत आदेश 30-5-18 पारित किया है जो न्यायिक आदेश नही है अतः आदेश निरस्त होने योग्य है।

3- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश में यह कहना भी न्यायोचित नही है कि अपीलान्ट दस्तावेज बहस

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी **3940**/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30-5-18 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को बहस के समय दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	